प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति धीरेंद्र मिश्रा

रिट याचिका (सिविल) क्र. 34/2008

याचिकाकर्तागण।

1. अघनूराम निषाद, पिता मन्नीलाल, निषाद, आयु 36 वर्ष।
2. चंद्रकला साहू, पति पूनम साहू, उम्र 30 वर्ष।
3. दिलेश्वर साहू, पिता तेजराम साहू, उम्र 32 वर्ष।
4. तोरणलाल नेताम, पिता भूखन सिंह ध्रुव (नेताम), उम्र 33 वर्ष।
5. प्रेमशंकर साहू, पिता गुहाराम साहू, उम्र 50 वर्ष।

उपरोक्त सभी, निवासी गांव भवानीपुर, तहसील पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदातागण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा

   सचिव,

   पंचायत एवं समाज कल्याण, डीकेएस भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. कलेक्टर, रायपुर, जिला: – रायपुर, (छ.ग.)।

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

3. अपर कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)

4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विहित प्राधिकारी, बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)

5. नायब तहसीलदार, रूपेश कुमार वर्मा, पीठासीन अधिकारी, पलारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

6. गौरी बाई, पति काशीराम साहू, उम्र 48 वर्ष, सरपंच, ग्राम पंचायत भवानीपुर, तहसील पलारी, जिला:- रायपुर, (छ.जी.)

7. शकुंतला पति बोधिराम साहू।

8. उमराव सिंह पिता लटेल ध्रुव।

9. परमानन्द पिता मंत्रम साहू।

10. छीताबाई पति परदेशी साहू।

11. अमृत बाई पति केशव राम ध्रुव ।

12. निर्मला बाई, पति घनश्यामन साहू।

13. बुधाराव राम, पिता बैसाखू निषाद। एस./ओ.

प्रत्यर्थी क्रमांक 7 से 13 निवासी:- ग्राम भवानीपुर, तहसील पलारी, जिला रायपुर, (छ.ग.)

14. तिलक राम पिता जंतराम निषाद।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

15. नरोत्तम पिता सुकलाल निषाद।

16. मनीराम। पिता देवदास सतनामी।

उत्तरदातागण क्रमांक 14, 15 और 16 निवासी:- ग्राम जुनवानी, ग्राम पंचायत भवानीपुर, तहसील पलारी जिला: – रायपुर, (छ.ग.)।

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे, ।

राज्य के लिए पेनल अधिवक्ता श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के अधिवक्ता श्री पी.पी.साहू, ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(2 अप्रैल 2008)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश.

1. पक्षकारों की सहमति से मामले को अंतिम रूप से सुना गया ।

2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, याचिका द्वारा अपर कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला रायपुर, द्वारा पारित अनुलग्नक पी/6 दिनांक 14.12.2007 के आदेश को चुनौती दी है। जिसके द्वारा पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 21 (4) के तहत रेफरेंस (संक्षिप्तता के लिए आगे 1993 का अधिनियम कहा जाएगा) प्रत्यर्थी क्र. 6, सरपंच द्वारा दायर को

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

स्वीकार की गई और ग्राम पंचायत भवानीपुर की बैठक में पारित दिनांक 27.8.2007 के 'अविश्वास प्रस्ताव' के संकल्प को अपास्त कर दिया गया है।

3. निर्विवाद तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी क्र. 6 ग्राम पंचायत भवानीपुर का सरपंच है। पंचायत के बारह सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ विहित प्राधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के समक्ष दिनांक 6.8.2007 को 'अविश्वास प्रस्ताव' प्रस्तुत किया गया था। मामले को 13 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत किया गया था और उस तारीख को पंचायत सदस्यों की 27 अगस्त, 2007 को बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। नायब तहसीलदार, पलारी, प्रत्यर्थी नंबर 5, को प्रत्यर्थी क्र. 6 के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए उपरोक्त बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बैठक 27.8.2007 को बुलाई गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच सहित ग्राम पंचायत भवानीपुर के 16 सदस्यों ने भाग लिया और पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की, कि अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के कुल 16 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने पक्ष में और 4 ने खिलाफ बहुमत से पारित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच द्वारा 27.8.2007 को उसके खिलाफ पारित उपरोक्त प्रस्ताव के खिलाफ अपर कलेक्टर, प्रत्यर्थी क्र. 3 के समक्ष 25.9.2007 को एक रेफरेंस दायर किया गया था। प्रारंभ में, रेफरेंस को कालबधित होने से खारिज कर दिया गया था, हालांकि, प्रत्यर्थी क्र. 6 द्वारा की गई रिट याचिका को स्वीकार कर दिया गया था और मामले को सभी संबंधितों को नोटिस देने के बाद रेफरेंस पर पुनर्विचार के लिए अपर कलेक्टर/ प्रत्यर्थी क्र. 3 को प्रतिदोषित कर दिया गया था। तदनुसार, मामले की सुनवाई फिर से अपर कलेक्टर/ प्रत्यर्थी क्र. 3 द्वारा की गई, जिन्होंने आक्षेपित आदेश द्वारा, 'अविश्वास प्रस्ताव' को इस टिप्पणी के साथ अपास्त कर दिया कि ‘ग्राम पंचायत के सरपंच तथा

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

उप-सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1994' (सुविधा के लिए 'नियम, 1994'), के नियम 3 (3) का अनुपालन, आज्ञापक है और वर्तमान मामले में, 'अविश्वास प्रस्ताव' की सूचना 6 अगस्त 2007 को दी गई थी, जबकि बैठक 27 अगस्त 2008 को बुलाई गई थी अर्थात 15 दिन की अवधि से परे और यह नियम 1994, के नियम 3 (3) कार्यालय नियमों के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन था.

5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 'अविश्वास प्रस्ताव' (अनुलग्नक पी/3) की कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव' के खिलाफ अपना मामला रखने का अवसर दिया गया था और उन्होंने बैठक पर कोई आपत्ति नहीं की। 15 दिनों की आज्ञापक अवधि के बाद भी बैठक बुलाई जा रही है और इसलिए उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। ग्राम पंचायत, भवानीपुर के सभी 16 सदस्यों ने बिना किसी आपत्ति के उक्त बैठक में भाग लिया और अपना वोट डाला। प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद सभी 16 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 4 ने विरोध में मतदान किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नांची बाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य *और भूलिन देवांगन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य*[1] *के मामलों में पारित आदेशों का अवलम्ब लिया गया है*[2] *।*

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री पीपी साहू ने तर्क दिया कि नियम, 1994 के नियम 3 का उप-नियम (3) आज्ञापक है। याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नोटिस 27 अगस्त, 2007 को होने वाली बैठक में ग्राम पंचायत भवानीपुर के सदस्यों की उपस्थिति के लिए 20 अगस्त, 2007 को भेजे गए थे और इस प्रकार, नियम

[1] 2005 (1) एमपीएलजे 200

[2] 2001 (2) एमपीएलजे 372

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

3 के उप-नियम (3) का अनुपालन नहीं किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बैठक के 7 दिनों से पहले नोटिस भेजना आवश्यक है। आगे यह तर्क दिया गया कि हालांकि अपर कलेक्टर/ प्रत्यर्थी क्र. 3 ने कोई कारण नहीं बताया है कि नियम, 1994 के नियम (3) के उप-नियम (3) का पालन न करने के कारण प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच के साथ क्या पूर्वाग्रह हुआ था, हालांकि, यह तथ्य कि पंचायत के केवल पांच सदस्यों ने 12 सदस्यों में से इस याचिका को स्थापित किया है, 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान करने वाले व्यक्ति का यह अर्थ है कि सभी सदस्यों की 'अविश्वास प्रस्ताव' में रूचि नहीं थी और यदि चार सदस्यों के अलावा एक सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया होता तो यह प्रस्ताव गिर जाता।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भुलीन देवांगन के मामले में, *मुकु बाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य*[3] के मामलों में डिवीजन बेंच के निर्देश को बरकरार रखा है। जिसमें यह माना गया है कि नियम, 1994 के नियम 3 (3) में प्रदान किए गए 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाने की आवश्यकता आज्ञापक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों के वकीलों को सुना है और आक्षेपित आदेश सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

10. तथ्यों में कोई विवाद नहीं हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि अपर कलेक्टर/प्रत्यर्थी क्र. 3 ने 1993 के अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत संदर्भ की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि 'अविश्वास प्रस्ताव' प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच के साथ क्या पूर्वाग्रह हुआ था। यह भी निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी क्र. 6

[3] 1998(2)एमपीएलजे 661

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

सरपंच ने बिना किसी आपत्ति के बैठक में भाग लिया या यह इंगित किए कि 15 दिनों की अवधि से परे बैठक बुलाने में उसके लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ था।

11. मुकु बाई के मामले में, म.प्र. उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने नियमावली, 1994 के नियम 3 के उपनियम (3) के उपबंधों पर विचार करते हुए कहा है कि 'अविश्वास प्रस्ताव, के प्रयोजनों के लिए 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाने की अपेक्षा की गई है, जैसा कि उपर्युक्त नियम में उपबंधित है, आज्ञापक है।

12. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने *भूलीन देवांगन*[2] के पैरा -15 के मामले में इस प्रकार अवधारित किया है: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 15. अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही या अन्य कार्यवाही भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संवैधानिक न्यायालय के रूप में इस संहिता में स्वीकार्य है। जैसा कि हमारे द्वारा माना गया है, भले ही सदस्यों को बैठक की सूचना भेजने की अपेक्षा करने वाले नियम का दूसरा भाग आज्ञापक है, फिर भी कलेक्टर या इस न्यायालय के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती देने के प्रत्येक मामले में, यह अभी भी कलेक्टर या इस न्यायालय के लिए खुला होगा कि क्या किसी दिए गए मामले में नियम के किसी भी हिस्से का गैर-अनुपालन वास्तव में हुआ है न्याय की विफलता में या किसी भी पक्ष के लिए कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है। सामान्य नियम यह है कि विधि के एक आज्ञापक प्रावधान के लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है और निर्देशिका केवल पर्याप्त होती है। लेकिन यहां तक कि जहां

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

> प्रावधान आज्ञापक है, वहां भी इसका पालन न करने पर जरूरी नहीं कि पूरी कार्रवाई की निरस्तीकरण हो। किसी दी गई स्थिति में अनिवार्य आवश्यकता को पूरा न करने के लिए भी, निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त प्राधिकारी इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर सकता है कि प्रभावित पक्ष या किसी अन्य पार्टी के लिए कोई पर्याप्त पूर्वाग्रह नहीं हुआ था जो कार्यवाही में अन्य महत्वपूर्ण हित रखता था.....

उसी पैराग्राफ में इसे आगे निम्नानुसार रखा गया है: -

> इन प्रावधानों से यह इरादा जाहिर होता है कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक 15 दिनों के भीतर बुलाई जाए और प्रत्येक सदस्य को सात दिन पहले इसकी सूचना दी जाए। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 द्वारा उपस्थित किया जाना आवश्यक है, जैसा कि नियम 3 के उप-नियम (1) के पहले परंतुक द्वारा आवश्यक है और इसे उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम 3/4 वें बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विधिपूर्वक पारित किया जा सकता है और ऐसा बहुमत 2/3 से अधिक होना चाहिए अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) पंचायत का गठन करने वाले पंचों के अनुसार । यह अधिनियम और नियमों के अधीन उपबंधों का सार होने के कारण, उप-नियम (3) के दूसरे भाग का मात्र अनुपालन न करने से प्रत्येक मामले में कार्रवाई अमान्य नहीं होगी जब तक कि कलेक्टर धारा 21 की उपधारा 14 के अधीन विवाद का निर्णय करते समय या यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपने पर्यवेक्षी आधिकारिक का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

प्रयोग करते हुए इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि इस प्रकार के गैर-अनुपालन से प्रभावित पदाधिकारी को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या अन्यथा परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

13. एकल पीठ, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने *नांची बाई*[1] के मामले में *भुलीन देवांगन*[2] के मामले में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए माना है कि जहां नियमों के नियम 3 (1) के तहत नोटिस की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैठक नहीं बुलाई गई है, 1994 के मामले में याचिकाकर्ता (सरपंच) ने बिना किसी आपत्ति के बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव बहुमत से किया गया, याचिकाकर्ता (सरपंच) को 15 दिनों की अवधि के भीतर बैठक न बुलाने के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले से ही उपरोक्त पैरा में बताया गया है, प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच ने बैठक में भाग लिया और बिना किसी आपत्ति के मतदान किया, पंचायत के सभी 16 सदस्यों ने भी 27 अगस्त 2007 की बैठक में भाग लिया और मतदान किया। प्रत्यर्थी क्र. 6 के अधिवक्ता यह नहीं बता सके कि 15 दिनों की अवधि से परे बैठक बुलाने से प्रत्यर्थी क्र. 6 सरपंच के प्रति क्या पूर्वाग्रह हुआ है और यह तर्क कि पंचायत के सदस्यों का संतुलन इतना समान था कि एक वोट ने बैठक के परिणाम को भौतिक रूप से बदल दिया होगा और यह याचिका ग्राम पंचायत के केवल पांच सदस्यों द्वारा स्थापित की गई है, यह नहीं माना जा सकता है कि सरपंच के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ था।

15. उपरोक्तानुसार, नियम, 1994 के नियम 3 के उप-नियम (3) का पालन न करने के कारण सरपंच को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ, इसलिए सरपंच/ प्रत्यर्थी क्र. 6 के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' को अपास्त करने वाले अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

प्रकाशनार्थ अनुमोदि
2008:सीजीएचसी:20

16. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाता है । दिनांक 14.12.2007 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/6) को अपास्त किया जाता है और अनुलग्नक पी/3 के संकल्प को विधि के अनुसार पारित घोषित किया जाता है।

17. वाद व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

सही/-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By:- Md. Ruhul Ameen Memon